

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

1. हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव।
2. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष,
3. हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड/निगम के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य प्रशासक।
4. आयुक्त अम्बाला, हिसार, रोहतक, गुड़गाँव, करनाल, एवं फरीदाबाद मण्डल।
5. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त

दिनांक 29.05.2020

विषय:— ग्रुप-डी के मूल सूची के शेष उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने बारे।

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान दिलाते हुये कहूँ कि ग्रुप डी की मूल सूची में से कुछ उम्मीदवारों ने अभी तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की मूल सिफारिश अनुसार अपने मूल विभागों में कार्यग्रहण नहीं किया है और न ही विभाग द्वारा उनकी उम्मीदवारिता निरस्त की गई है और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में से नये उम्मीदवार लगाने की सिफारिश भी नहीं की गई है।

2. सरकार ने इस मामले में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि जिन ग्रुप डी उम्मीदवारों ने मूल सूची अनुसार अभी तक कार्यग्रहण नहीं किया है उनको एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुये 15 दिन के अंदर-अंदर कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया अपनाएं। यदि उम्मीदवार अंतिम अवसर प्रदान किये जाने के फलस्वरूप भी कार्यग्रहण नहीं करता या प्रत्युत्तर नहीं देता है तो उस स्थिति में संबंधित विभाग ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारिता अपने स्तर पर रद्द करते हुए उम्मीदवार तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भी सूचित करें।
3. तदोपरान्त संबंधित विभाग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी प्रतीक्षा सूची में से उपरोक्त उम्मीदवार के विरुद्ध अन्य उम्मीदवार भेजने की सिफारिश अपने स्तर पर करे।
4. आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया ये हिदायतें अपने अधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के नोटिस में अनुपालना के लिये ला दी जाए।

भवदीय

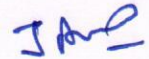


अधीक्षक सामान्य सेवायें—। शाखा,
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

पृष्ठ क्रमांक:—42/11/2018-2जी0एस0-1

दिनांक चण्डीगढ़ 29 मई, 2020

एक प्रति हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।



अधीक्षक सामान्य सेवायें—। शाखा,
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार